

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-206/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० प्रीति सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनपुर, सारण उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 13.08.2022 से 08.10.2022 तक कुल-57(सत्तावन) को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-115(25), दिनांक 13.01.2025 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के आलोक में उपाजित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/ एल-206/2025- 287(2) पटना, दिनांक 11 / 2 / 2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सारण, छपरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनपुर, सारण/कोषागार पदाधिकारी, छपरा, सारण/डा० प्रीति सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्र, सोनपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एव 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।